Title: Request to release funds earmarked for the check of erosion caused by the Ganga River in Bihar.

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : अध्यक्ष जी, मैं आज शून्य काल में बड़ा गम्भीर मुद्दा उठा रहा हूं। इस सवाल पर भारत सरकार ने 25.1.2000 और अगस्त, 2000 में पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दिए थे। गंगा का कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि गंगा के कछार पर सैंकड़ों गांव जो बसे हुए हैं उनकी मिट्टी वगैरह गंगा में जा रही थी, लेकिन अब वे गांव ही गंगा की गोद में समा रहे हैं। जो सुरक्षित तटबंध बने थे, वे भी खत्म हो गए है। इस कारण स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। भारत सरकार ने इसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और उसमें से 39.5 करोड़ रुपए बिहार राज्य के लिए स्वीकार किए गए हैं। वह रुपया किसी कारण से बिहार राज्य को नहीं दिया गया। गंगा पर कटाव नियंत्रण का काम बाढ़ के बाद शुरू होता है। सरकार दो-दो एफिडेविट दाखिल कर चुकी है। इसलिए मैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर बयान दें कि कब तक स्वीकृत राशि बिहार सरकार को दे दी जाएगी, जिससे जो गांव डूब रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो सके।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : मैं भी अपने को इस विाय के साथ एसोसिएट करती हूं।

MR. SPEAKER: Shrimati Renu Kumar, if it is on the same subject, you can also associate with Shri Ram Prasad Singh.